विलोपित विलोपित विलोपित

25

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी — 2426-II/12

लल्लन पुत्र रत्तू अहिरवार
निवासी तेरियामार, तहसील बकस्वाहा
जिला छतरपुर (म.प्र.) ---आवेदक

बनाम

1— रविमोहन पुत्र शिवमोहन सिन्हा
निवासी तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2— भगवानदास पुत्र मकुन्दा यादव
निवासी तेरियामार, तहसील बकस्वाहा
जिला छतरपुर (म.प्र.)

3— मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा—50(1) म.प्र.भू.राजस्व संहिता—1959 नये संशोधन अधिनियम 2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.11.2011 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार बकस्वाहा प्र.क. 16/अ—12/11—12 रविमोहन बनाम म.प्र.शासन के निर्णय से दुखित होकर।

श्रीमान जी,

आवेदक का निगरानी आवेदन—पत्र निम्न प्रकार पेश है:—

1— **प्रकरण के तथ्य:—**

यहकि, ग्राम तेरियामार स्थित खसरा नम्बर 124/19, 141/8, 141/15, कुल किता—3 कुल रकवा 2.159 हैक्टर तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर के समवन्ध में सीमांकन कराये जाने हेतु अनावेदक कमांक—1 द्वारा आवेदन 22.2.10 को पेश किया गया। तत्पश्चात प्रकरण दर्ज किया जाकर, सीमाकंन हेतु मौजा पटवारी, राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया। तथा दिनांक 31.12.10 को सीमांकन की पुष्टि तहसीलदार बकस्वाहा द्वारा की गई। जिसमें न तो मुझ आवेदक को पक्षकार बनाया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2426-दो/2012 जिला छतरपुर लल्लन विरूद्ध रविमोहन व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बकस्वाहा के प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21-11-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी बकस्वाहा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी बकस्वाहा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 12/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	